न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 120/2012 Gcms No. 2012/00078
दायरा तिथि : 20.02.2012
निर्णय दिनांकः 28-09-22

वादी :–
सुल्तानसिंह पुत्र श्री जुंझारसिंहजी जाति राजपुत
निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. बलुच पुत्र शेरखॉजी जाति मुसलमान
   निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री अयुब अली ..... अभिभाषक प्रतिवादी सं.–01 की ओर से से
2. वादी व उसके अधिवक्ता .....अनुपस्थित।

दिनांक 28-09-22

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादी संख्या–01 पेश कर ग्राम ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1118 रकबा 0.24 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा इसका आधारा यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नाना के गत् खसरा नंबर 492/1248 रकबा **डेढ बीघा** के भू0 भाग से बनी है तथा इस भूमि पर वादी के पिता श्री जुॅझारसिंहजी का कब्जा वर्ष 1980 से चला आ रहा है, वादी पक्ष की ओर से चारो तरफ बाड की हुई है व अन्दर सामान व पत्थर की छीणे वादी पक्ष की पडी हुई है। वादी के पिता जुॅझारसिंह पुत्र भूरसिंहजी का देहान्त दिनांक 22.03.1994 को होने के पश्चात् इस भूमि पर वादी सुल्तानसिंह का कब्जा आज दिन तक चला आ रहा है। वादी ने वर्ष 2003 में करीब 42, 000/–रूपये लगाकर उक्त भूमि पर बोरवैल कराया है, जिस पर वर्ष 2011 में वादी द्वारा बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है जो वर्तमान में मौके पर मौजुद है। इसके बावजुद प्रतिवादी संख्या–01 प्रभावशाली व्यक्ति होने से वादी की भूमि को हडप करने की नियत से दखलन्दाजी के असफल प्रयास करता रहता है। जिससे वादी के पास घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद के अलावा कोई विकल्प नहीं होने से उक्त वाद पेश किया है। वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में वादी पक्ष द्वारा धारा 91 के नोटिसो की प्रतियॉ, बिजली बिल की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी के वादपत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या–01 के द्वारा प्रस्तुत करते हुये ग्राम नाना के गत् खसरा नंबर 492/1248 मी से बने हाल खसरा नंबर 1118 रकबा 0.68 हैक्टर की भूमि कदीम से प्रतिवादी–01 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि होना वर्णित करते हुये वादी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत करना जाहिर करते हुये वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा जवाबदावा के साथ में इस आशय का काऊण्टर क्लेम पेश किया गया कि वादी ने प्रतिवादी की खातेदारी भूमि नाना के खसरा नंबर 1118 रकबा 0.68 हैक्टर की आराजी के दक्षिणी किनारे से उत्तर की तरफ, आग रोड की तरफ से पूरब पश्चिम की तरफ 135 फीट पूरब से पश्चिम व उत्तर की तरफ रोड की तरफ से पूरब पश्चिम 55 फीट की आराजी जो जवाबदावा के साथ संलग्न नक्शा में मार्क **ABCD भू0 भाग पर वादी द्वारा दो– ढाई वर्ष पुर्व नाजायज कब्जा कर ट्यूब वैल व एक झोपडी** बनाई है, जिसका वादी को कोई हक अधिकार नहीं होने तथा गैर कानूनी होने से प्रतिवादी संख्या–01 वादी को बेदखल कराने का अधिकारी होने से वादी के विरूद्व धारा 183 ,188, 209 का काऊण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या–01 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस काऊण्टर क्लेम का जवाब वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत कर वादी का वादग्रस्त भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा काश्त होने से काऊण्टर क्लेम को खारिज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 07.08.2019 की आदेशिका में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 दोनो का अनुतोष रिवायतक भूमि बाबत् होने का वर्णन करते हुये पत्रावली को कायमी तनकियात के लिये रखा गया। दिनांक 22.08.2019 की नियत पेशी को अधिवक्ता वादी पक्ष श्री भेराराम चौधरी द्वारा प्रकरण में **NO Instruction Plead** किया गया। वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री भेराराम चौधरी द्वारा प्रकरण में **NO Instruction Plead** करने से वादी के वाद को आदेशिका दिनांक 22.08.2019 से अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–01 के काऊण्टर क्लेम को वाद के तौर पर जारी रखते हुये प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता को वादी की तलबी के लिये पी.एफ. सम्मन प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.09.2019 को प्रकरण में वादी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करते हुये पत्रावली को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया।

पेज लगातार.....02

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 120/2012 Gcms No. 2012/00078
अनवान सुल्तानसिंह बनाम बलुच वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रतिवादी पक्ष की और से मौखिक साक्ष्य के तौर गवाह **DW–01** प्रतिवादी संख्या–01 स्वयं बलूच पुत्र शेर खॉजी मुसलमान तथा अन्य स्वतंत्र गवाह **DW–02** श्री मेहराब खॉ व **DW–03** श्री उस्मान गनी के बयान कराये गये। दिनांक 17.02.2020 की आदेशिका से प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य को बन्द करते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। दिनांक 29.10.2020 को वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। बहस के लिये वकुलाय द्वारा समय अवसर लिये गये, तथा दिनांक 07.09.2021 को प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता श्री अय्यूब अली द्वारा इस आशय का तर्क दिया गया कि वादी पक्ष की ओर से न्यायालय बहस नहीं सुन सकता, जब तक वादी पक्ष उसके विरूद्व पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त नहीं करा देता, अतः इस हेतु वादी पक्ष से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उस प्रार्थना पत्र का विधिक प्रावधानो के तहत निस्तारण के पश्चात् ही वादी पक्ष की ओर से बहस में भाग लिया जा सकता है। जिससे प्रतिवादी पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुये वादी अधिवक्ता को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करने बाबत् सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। इस हेतु वादी अधिवक्ता को पर्याप्त समय/अवसर प्रदान के बावजुद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 31.08.2022 की आदेशिका से वादी पक्ष के प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का अवसर बंद करते हुये पत्रावली को काऊण्टर क्लेम बाबत् प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस के लिये रखा गया। दिनांक 13.09.2022 को वकील प्रतिवादी संख्या–01 श्री अय्यूब अली की काऊण्टर क्लेम पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। व वकील प्रतिवादी संख्या–01 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि ग्राम नाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर रकबा 0.68 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–01 के खातेदारी की भूमि है, जिस भूमि के पुराने खसरा नंबर 492/1248 रहे है। वादी पक्ष द्वारा इस भूमि की घोषणा खातेदारी की मांग जरूर की गई, परन्तु वादी पक्ष द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया गया एवं न ही मौखिक साक्ष्य ही पेश किये गये। इतना ही नहीं दिनांक 22.08.2019 को वादी के अधिवक्ता द्वारा **NO Instruction Plead** भी कर दिया गया। तथा दिनांक 05.09.2019 की आदेशिका से वादी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही भी कर दी गई। इसके बावजुद दिनांक 29.10.2020 को वादी पक्ष की ओर से नये अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने से उन्हे न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करने के लिये सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिये जाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत काऊण्टर क्लेम के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो गवाह **DW–01** प्रतिवादी संख्या–01 स्वयं बलूच पुत्र शेर खॉजी मुसलमान तथा अन्य स्वतंत्र गवाह **DW–02** श्री मेहराब खॉ व **DW–03** श्री उस्मान गनी द्वारा दिये बयानो में उल्लेखित कथनो पर विश्वास कर सही मानना उचित है। जिससे प्रतिवादी संख्या–01 की खातेदारी भूमि नाना के हाल खसरा नंबर 1118 रकबा 0.68 हैक्टर की आराजी के दक्षिणी किनारे से उत्तर की तरफ, आम रोड की तरफ से पूरब पश्चिम की तरफ 135 फीट व उत्तर की तरफ रोड की तरफ से पूरब पश्चिम 55 फीट की आराजी जो जवावदावा के साथ संलग्न नक्शा में मार्क **ABCD** भू0 भाग पर वादी द्वारा अतिक्रमण कर जो गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण किया है, उसको प्रतिवादी संख्या–01 के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा साथ ही वादी पुनः प्रतिवादी की खातेदारी भूमि नाना के खसरा नंबर 1118 रकबा 0.68 के किसी भू0 भाग पर कब्जा न करे, इस हेतु वादी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 28-09-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादी :–

सुल्तानसिंह पुत्र श्री जुंझारसिंहजी जाति राजपुत
निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बलुच पुत्र शेरखॉजी जाति मुसलमान
   निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 120/2012 Gcms No. 2012/00078
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। व वकील प्रतिवादी संख्या–01 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि ग्राम नाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर रकबा 0.68 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–01 के खातेदारी की भूमि है, जिस भूमि के पुराने खसरा नंबर 492/1248 रहे है। वादी पक्ष द्वारा इस भूमि की घोषणा खातेदारी की मांग जरूर की गई, परन्तु वादी पक्ष द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया गया एवं न ही मौखिक साक्ष्य ही पेश किये गये। इतना ही नहीं दिनांक 22.08.2019 को वादी के अधिवक्ता द्वारा **NO Instruction Plead** भी कर दिया गया। तथा दिनांक 05.09.2019 की आदेशिका से वादी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही भी कर दी गई। इसके बावजुद दिनांक 29.10.2020 को वादी पक्ष की ओर से नये अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने से उन्हे न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करने के लिये सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिये जाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत काऊण्टर क्लेम के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो गवाह **DW–01** प्रतिवादी संख्या–01 स्वयं बलूच पुत्र शेर खॉजी मुसलमान तथा अन्य स्वतंत्र गवाह **DW–02** श्री मेहराब खॉ व **DW–03** श्री उस्मान गनी द्वारा दिये बयानो में उल्लेखित कथनो पर विश्वास कर सही मानना उचित है। जिससे प्रतिवादी संख्या–01 की खातेदारी भूमि नाना के हाल खसरा नंबर 1118 रकबा 0.68 हैक्टर की आराजी के दक्षिणी किनारे से उत्तर की तरफ, आम रोड की तरफ से पूरब पश्चिम की तरफ 135 फीट व उत्तर की तरफ रोड की तरफ से पूरब पश्चिम 55 फीट की आराजी जो जवाबदावा के साथ संलग्न नक्शा में मार्क **ABCD** भू0 भाग पर वादी द्वारा अतिक्रमण कर जो गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण किया है, उसको प्रतिवादी संख्या–01 के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा साथ ही वादी पुनः प्रतिवादी की खातेदारी भूमि नाना के खसरा नंबर 1118 रकबा 0.68 के किसी भू0 भाग पर कब्जा न करे, इस हेतु वादी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-09-22को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner